Dairy No. 811/KU-I/2010
Sl. No. 9(R)

कार्यालय अति0 महानिदेशक पुलिस, सी.आई.डी. (सीबी) राज0 जयपुर

क्रमांकः–प–1(2)सीबी/सीआरसी/परि./जोध.श./10/ 676 दिनांकः– 7.5.10

श्री एन. के. कौशिक,
सहायक निदेशक,
राष्ट्रीय अनु. जनजाति आयोग,
छठी मंजिल "बी" विंग,
लोक नायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली–1100031

विषयः– परिवाद द्वारा श्री भंवरराम भील मार्फत त्रिलोकाराम, डॉ. पन्नालाल निवासी शिव मंदिर के पास रातानाड़ा, जोधपुर शहर बाबत।

प्रसंगः– आपके पत्रांक राज./23/06/अत्याचार–आरवी–1 दिनांक 22.4.10 के क्रम में

Recd today. Put up on file.
11/5/10
K-6

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि उक्त परिवाद के संबंध में दर्ज प्रकरण संख्या 60/10 थाना उदयमंदिर जिला जोधपुर शहर की जांच रिपोर्ट इस कार्यालय के पत्रांक 604 दिनांक 29.4.10 के द्वारा आपको प्रेषित की जा चुकी है जिसकी छायाप्रतियां पुनः संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

रिपोर्ट प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

Raj/23/2006/Atrocity/RU-I

भवदीय,

7/05/2010

पुलिस अधीक्षक (पीसीआर)
सीआईडी (सीबी) राज. जयपुर।

-21-

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (अपराध शाखा) राजस्थान जयपुर

क्रमांक : प-1(2)सीबी/सीआरसी/परि./जोध./10/ 664 दिनांक 29/4/10

श्री एन. के. कौशिक,
सहायक निदेशक,
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग,
छटी मंजिल " बी " विंग,
लोक नायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली - 1100031 ।

विषय :- परिवाद द्वारा श्री भंवरूराम भील मार्फत त्रिलोकराम, डॉ. पन्नालाल निवासी शिव मन्दिर के पास रातानाड़ा, जोधपुर शहर बाबत।

प्रसंग :- आपके पत्रांक फाईल न. राज./23/2006 /एट्रो सिटी/ आर. यू-1/ दिनांक 10.02.10 व इस कार्यालय के पत्रांक 356 दिनांक 23.03.2010 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासांगिक पत्रों के सन्दर्भ में निवेदन है कि उक्त परिवाद के सम्बंध में दर्ज मु.न. 60/10 थाना उदयमन्दिर जिला जोधपुर शहर की जांच पुलिस अधीक्षक जिला जोधपुर शहर के स्तर पर की गई है। पुलिस अधीक्षक जोधपुर शहर से प्राप्त जांच रिपोर्ट की छायाप्रति आपको संलग्न प्रेषित की जा रही है।

रिपोर्ट प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

29/04/2010

पुलिस अधीक्षक (पीसीआर),
सी.आई.डी. (सीबी) राजस्थान जयपुर।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला जोधपुर शहर

क्रमांकः– प–6( ) जोध/आपशा/परि0/10/6041 दिनांकः– 26/04/2010

पुलिस अधीक्षक (पीसीआर)
सीआईडी सीबी,
राज0 जयपुर।

विषयः– परिवाद द्वारा भंवरूराम भील मार्फत त्रिलोकराम डा0 पन्नालाल नि0 शिव मंदिर के पास रातानाडा जोधपुर के संबंध में।
प्रसंगः– आपसे हुई दूरभाष वार्ता दि0 26.4.2010 के संदर्भ में।

महोदय,

विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि प्रार्थी श्री भंवरूराम भील पुत्र श्री चनणाराम भील निवासी छायण थाना पोकरण जिला जैसलमेर का एक परिवाद इस आशय का प्राप्त हुआ कि मैं बी.ए. द्वितीय वर्ष जयनारायण व्यास विश्व विधालय का विद्यार्थी हूं। मैं छात्रावास संख्या 3 रातानाडा में प्रवेश लेना चाहता हूं। इसी संदर्भ में दि0 18.6.2006 को दोपहर करीब 2 बजे छात्रावास में आवेदन करने गया। इस दौरान किशन मेघवाल छात्र नेता एस.एफ.आई., रघुनाथ टिकमचंद, भोमाराम व 10–12 अन्य विद्यार्थियों ने मुझे छात्रावास में बुलाकर आवेदन न करने की धमकी दी। यही विद्यार्थी समूह मुझे करीब एक माह से छात्रावास में आवेदन न करने की धमकी दे रहे है इनका कहना है कि भील जाति का कोई विद्यार्थी छात्रावास में नही रह सकता और आवेदन करने की हिम्मत की तो बुरे परिणाम होगें दि0 21.9.06 को सांय 5.30 बजे भाटी चौराहा रातानाडा पर राजूराम मेघवाल नि0 धोक मोड़रड़ी, हरीश यादव रामदेवरा, हुकमाराम कानासर ने किशन मेघवाल के कहने से मेरे साथ मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। मैं जैसलमेर जिले के छायण गांव से अध्ययन के लिए आया हूं। मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नही है मेरे माता पिता ने मेहनत मजदूरी करके अध्ययन के लिए जोधपुर भेजा है। किशन मेघवाल मुझे धमकी देता है कि मेरे खिलाफ आवाज उठाई तो बुरा अन्जाम होगा। किशन मेघवाल वर्षो से छात्रावास में अवैध रूप से रह रहा है एंव गरीब छात्रों को परेशान करता है। वगैरा परिवाद पर अ0सं0 60 दि0 6.3.2010 धारा 323 भादसं व 3(1)(10) एससी एसटी एक्ट थाना उदयमंदिर पर दर्ज कर अनुसंधान वृताधिकारी वृत पूर्व द्वारा शुरू किया गया।

दौराने अनुसंधान प्रार्थी श्री भंवरूराम भील को तलब कर बयान लेखबद्ध किये गये प्रार्थी भंवरूराम ने अपने कथनो में बताया कि हॉस्टल संख्या 3 में रहने के दौरान मेरी किशन मेघवाल वगैरा के साथ छात्रावास में रहने बाबत बोलचाल व आपसी मनमुटाव हो गया था। बाद में हमारे आपस में राजीनामा हो गया था। मेरे साथ किसी प्रकार की मारपीट अथवा जातिसूचक गाली गलोच नही हुई थी, ना ही मेरे कोई जाहिरा चोट लगी थी। उस समय मैने आवेश में आकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जन जाति आयोग व अन्य जगह पर परिवाद प्रेषित कर दिया था। अब मुझे इस बारे में कोई कार्यवाही नही करवानी है। इस प्रकार अनुसंधान से धारा 323 भादस व 3(1)(10) एससी एसटी एक्ट का अपराध घटित होना नही पाया गया। प्रार्थी मात्र हॉस्टल में रहने संबंधी बोलचाल होने की बात को बढा चढाकर उक्त परिवाद पेश करना पाया गया।

अतः रिपोर्ट प्रेषित है।

भवदीय

/पुलिस अधीक्षक
जिला जोधपुर शहर